Minutes of the 18th meeting of the Standing Committee under DMI&SP Policy, held on 20th March, 2023 at 03:00 P.M. in hybrid mode under the Chairmanship of Shri Nagendra Nath Sinha, Secretary, Ministry of Steel

1. The Standing Committee is formed to examine the exclusion request submitted along with sufficient proof of unavailability of domestic manufactured iron and steel products by bidders/company engaged in bidding of projects funded by government agencies.

2. At the outset, Chairman of the Standing Committee welcomed the participants to the 18th Meeting of the Standing Committee. Based on the inputs provided by ONGC and MECON, Deputy Secretary, M/o Steel, made a brief presentation on the issues.

3. ONGC has raised the following 7 issues for granting exemption from the provisions of DMIS&P Policy for procurement of these items through Global Tender Enquiry.:

S.No	Exemption sought for	Quantity	Estimated Value (in crores)
i	Procurement of Short Drill Pipes and Pup joints	280 nos	2.05
ii	Procurement of Heavy Weight Drill Pipes	694 nos	23.09
iii	Procurement of Drill Collars with premium threads.	472 nos	12.94
iv	Procurement of 15 Chrome Premium Threaded Casing	1850 m	3.10
v	Procurement of Premium Casing & Accessories	9028 MT	152
vi	Procurement of 13 Chrome Casing with Premium Threads & Crossovers	2160 MT	119.2
vii	Procurement of Coil tubing reels	66 nos	31.18

A. Short Drill Pipes and Pup joints

Qty: 280 Nos
Value: Rs 2.05 Crore
(Qty. required for one year)

Background

i) ONGC informed that development orders were placed to M/s Jindal Saw Limited & M/s Maharashtra Seamless Limited for Drill pipes. After successful field trial testing, both the manufacturers are now 'developed source' for Drill pipes. Subsequent to above, domestic Tender no. GeM/2021/B/1503424 was floated on 09.09.2021 for procurement of Drill Pipes, Short Drill Pipe and Pup Joints of various sizes through GeM portal wherein following three (03) indigenous manufacturers had participated in the said tender:

- M/s Jindal Saw Limited, Nasik, Maharashtra

  - M/s Maharashtra Seamless Limited, Raigad, Maharashtra
  - M/s Mining Machine Tools, Korba, Chhattisgarh

ii) As all the above items i.e. Drill Pipes, Short Drill Pipe and Pup Joints were part of the group only, the said tender had to be closed as none of bidders was technically qualified for supply of Short Drill Pipe and Pup Joints. M/s Jindal Saw Limited and Maharashtra Seamless Limited are not willing to manufacture Short Drill Pipe and Pup Joints even though they have requisite API-5DP certification and capability to manufacture these items.

iii) Representative of M/s Jindal Saw Limited & M/s MSL stated that they don't have capability to manufacture integral type Short Drill pipe & Pup joints as required by ONGC. Further, the ONGC requirement for the said item is limited and it is not commercially viable to manufacture the same.

Recommendation of 18th Grievance Redressal Committee:

Grievance Redressal Committee recommended to grant one-time exemption to ONGC for procurement of this item and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration. Further, Grievance Redressal Committee directed ONGC to provide long term projections for Short Drill pipe & Pup joints so that domestic manufacturers can look into the feasibility of developing the capability of manufacturing these items indigenously

Discussion:

In respect of long-term projections, ONGC informed that the product has limited requirement and procurement is sporadic in nature. Thus, ONGC is unable to provide accurate long-term projections.

Decision of Standing Committee:

Standing Committee recommended **one-time exemption** to ONGC for procurement of Short Drill Pipes and Pup joints through GTE only for the present tender during the FY 2023-24. Further, Standing Committee recommended that Director General, Hydrocarbon, the Oil Sector regulator, may be approached for obtaining the information regarding demand of these items in the country by various oil sector companies, so as to enable domestic manufactures determine the feasibility of developing the capacity of manufacturing these items indigenously.

B. Procurement of Heavy Weight Drill Pipes

Qty: 694 Nos.
Value: Rs 23.09 Crore
(Qty. required for one year)

Background

i) ONGC has informed that Tender No. ZNPVC21001 for procurement of Heavy Weight Drill Pipes of various sizes was invited on 27.08.2021 under International Competitive Bidding (ICB). Total 5 bidders participated in the said tender which includes four foreign Manufacturer and one supply house from India representing a foreign manufacturer. Further, ONGC informed that in the previous three tenders for procurement of said item i.e. Heavy Weight Drill Pipes, no Indigenous bidder / manufacturer had participated. Now, one Indigenous manufacturer i.e. M/s Parveen Industries has sought development order for the said item i.e. Heavy Weight Drill pipe and the same shall be processed by ONGC for placement of development order.

ii) Representative of M/s Jindal Saw Limited & M/s MSL stated that they don't have capability to manufacture Heavy Weight Drill Pipe as required by ONGC.

Recommendation of 18th Grievance Redressal Committee:

Grievance Redressal Committee observed that no domestic manufacturer has been able to manufacture HWDP till now and only one manufacturer has sought for placement of development order. In view of this, Grievance Redressal Committee recommended to grant one-time exemption to ONGC for procurement of this item and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration

Discussion:

(i) ONGC informed that although this product is procured regularly but the value of the order is not very large. Also, M/s Parveen Industries has sought development order but they do not have requisite API-7-1 certification.

(ii) Representative of M/s Parveen Industries informed that the they have already applied to get the necessary certification. Standing committee requested to expedite the process of certification.

Decision of Standing Committee:

Standing Committee recommended **one-time exemption** to ONGC for procurement of heavy weight drill pipes (HWDP) through GTE only for the present tender during the FY 2023-24.

C. **Procurement of Drill Collars with premium threads.**

Qty: 472 nos.
Value: Rs 12.94 Crore
(Qty. required for one year)

Background

i) ONGC has informed that GeM tender (Tender No.- GEM/2022/B/2083030) was invited on 13.04.2022 and bid was opened on 04.05.2022 wherein there was only one TA/CA bidder i.e. M/s Parveen Industries Pvt. Ltd., Navi Mumbai. M/s Parveen Industries Pvt. Ltd. had bid for Spiral Drill Collars and Drill collar (sticks).

ii) However, the said bidder i.e. M/s Parveen Industries Pvt. Ltd., had not quoted for Premium thread Drill Collars as they don't have the facility for manufacturing premium thread connection.

iii) ONGC further informed that Drill collars with premium threads are essential items required for drilling operations. It would not be possible to continue the drilling operations at ONGC Work Centres with the present inventory of these items.

iv) Representative of M/s Jindal Saw Limited & M/s MSL stated that they don't have capability to manufacture Drill collars with premium threads.

v) M/s Praveen Industries have also informed that they do not have facility for manufacturing premium thread connection and had not quoted for Premium thread drill collars in the aforementioned tender

Recommendation of 18th Grievance Redressal Committee:

Grievance Redressal Committee observed that there is no domestic manufacturer available for Drill collars with premium threads. In view of this, Grievance Redressal Committee recommended to grant one-time exemption to ONGC for procurement of this item and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration.

Discussion:

(i) ONGC informed that the premium threading is special type of threading which offer metal-to-metal seal for improved high pressure seal integrity. Domestic manufacturers do not have capability to build these.

(ii) Internationally only 4 companies have capabilities to manufacture pipes/casings with premium threads.

Decision of Standing Committee:

Standing Committee recommended **one-time exemption** to ONGC for procurement of Drill Collars with premium threads through GTE only for the present tender during the FY 2023-24. Also, it was suggested that ONGC may utilize its R&D funds for development of such technology.

D. **Procurement of 15 Chrome Premium Threaded Casing**

4-1/2" OD,
Qty: 1850 m
Value: Rs 3.10 crore
(Qty. required for one year)

Background

i) ONGC has informed that GEM tender was floated for procurement of same in March 2022 vide GEM Bid No. GEM/2022/B/1989612. However, no bidder has participated in the tender.

ii) ONGC stated that the said casing is required to be used below 7” liner for wells of Nagayalanka JV Phase-I campaign if Rajahmundry Asset to facilitate multi-stage hydro-fracturing after drilling. Similar casing policy was adopted during Phase-I development of the field to facilitate multi-stage hydro fracturing which resulted in substantial increase the domestic hydrocarbon production. Thus, the requirement of the said casing is critical for drilling & production operations of ONGC.

iii) Representative of M/s MSL stated that they don’t have capability to manufacture 4-1/2" OD, 15 Cr Casing. Representative of M/s Jindal Saw Limited informed that they have capability to produce the required size and requested for development order for 15 Cr to develop the required grade.

Recommendation of 18th Grievance Redressal Committee:

Grievance Redressal Committee observed that no domestic manufacturer is able to manufacture 4-1/2" OD, 15 Cr Casing. In view of this, Grievance Redressal Committee recommended to grant one-time exemption to ONGC for procurement of this item and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration.

Discussion:

Representative of M/s Jindal Saw Limited informed that they have capability to produce similar items and requested ONGC to share specifications of items needed so that they can review and look into feasibility of manufacturing it.

Decision of Standing Committee:

Standing Committee recommended **one-time exemption** to ONGC for procurement of 4-1/2” OD 15 Chrome Premium Threaded Casing through GTE only for the present tender during the FY 2023-24 as domestic availability of this item would take time. Further, Standing Committee recommended that Director General, Hydrocarbon, the Oil Sector regulator, may be approached for obtaining the information regarding demand of these items in the country by various oil sector companies, so as to enable domestic manufactures determine the feasibility of developing the capacity of manufacturing these items indigenously.

E. **Procurement of Premium Casing & Accessories**

11-3/4” FJ N80, 9-5/8” Q125, 7” Q125, 5-1/2” P110, 5” P110;
Qty: 9028 MT
Value: Rs 152 Crore
(Qty. required for one year)

Background

i) ONGC has informed that GEM tender for procurement of Premium Casing along with accessories including FJ (Flush Joint) was floated on 26.05.2022 and no

technically acceptable bid was received for Premium Casing with Flush Joint connection.

ii) Premium Casing & Accessories are used for gas wells, high-pressure wells, as well as for wells producing corrosive effluents. It offers a metal-to-metal seal for improved high pressure seal integrity. Thus, the requirement of these Premium casing and accessories is very critical for production operations of ONGC.

iii) Representative of M/s Jindal Saw Limited stated that they have supplied 13-3/8" OD, Q-125 grade Casing against Development Order placed by ONGC for which field trial testing report has not yet been issued by ONGC.

iv) ONGC informed that operational issues have been encountered during field trial testing of the Casing supplied by M/s JSL against development order. The same will be communicated to M/s JSL after thorough analysis by ONGC. Further, it was informed that failure was observed in Premium Casing i.e. 9-5/8", P-110 with Hunting Seal Lock XD connection supplied by M/s JSL against regular order. The matter has already been communicated to M/s JSL to resolve the issue at the earliest possible so as to avoid any operational exigency.

v) M/s JSL informed that the root cause analysis of the failure in said premium casing (i.e. 9-5/8", P-110 with Hunting Seal Lock XD connection) is also being analyzed by them.

vi) ONGC further submitted that the exemption from DMI&SP Policy is requested for five sizes of Premium Casing. In the event of successful field trial of 13-3/8", Q-125, BTC Casing supplied against Development Order, M/s JSL will be eligible for participating in regular tenders for only two of the sizes i.e. 9-5/8" OD & 7"OD Premium Casing pipes.

Recommendation of 18th Grievance Redressal Committee:

i) Grievance Redressal Committee observed that no domestic manufacturer is able to manufacture three of the Casings i.e. 11-3/4" FJ N80, 5-1/2"P110 & 5" P110 Premium Casing. In view of this, Grievance Redressal Committee recommended to grant one-time exemption to ONGC for procurement of these Premium Casings and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration.

ii) With respect to 9-5/8" OD & 7"OD Premium Casing pipes, Grievance Redressal Committee recommended to grant one-time exemption to ONGC for procurement of these Premium Casings and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration. Grievance Redressal Committee directed ONGC to share the operational reports/ findings of the field trial with M/s JSL to facilitate indigenization of these products.

Discussion:

Representative of M/s JSL informed that they are yet to receive the field trial testing report. Chairman, Standing Committee suggested that technical teams of both the companies could join hands to resolve the matter at the earliest.

Decision of Standing Committee:

(i) Standing Committee recommended **one-time exemption** to ONGC for procurement of 11-3/4" FJ N80, 5-1/2" P110 and 5" P110 Premium Casing & Accessories through GTE only for the present tender during the FY 2023-24.

(ii) With respect to 9-5/8" Q125 and 7" Q125 premium casing and accessories, Standing Committee decided **not to grant exemption** for procurement through GTE and directed ONGC to share the field trail testing report with M/s JSL within 3 weeks.

F. **Procurement of 13 Chrome Casing with Premium Threads & Crossovers:**

9-5/8"L-80, 47 PPF & 7", L-80, 29 PPF
Qty: 2160 MT
Value: 119.2 Crore
(Qty. required for one year)

Background

i) ONGC has informed that development order was placed to M/s JSL for supply of 7" OD, 13 Chrome Casing with premium thread. The results of field trial testing were not satisfactory. The same has been conveyed to M/s Jindal Saw Limited and the firm is investigating into the causes of the failure. However, till the material is successful in field trial testing, M/s Jindal Saw Limited cannot be considered as a developed source.

ii) M/s JSL informed that the issue has been taken up and the root cause of the failure is being analyzed by them.

Recommendation of 18th Grievance Redressal Committee:

Grievance Redressal Committee observed that M/s JSL is yet to fully develop the capability for 7" OD 13 Chrome Casing. Even if 7" OD 13 Chrome Casing gets developed, there is no domestic manufacturer available for 9-5/8"OD 13 Chrome Casing. In view of this, Grievance Redressal Committee recommended to grant one time exemption to ONGC for procurement of this item i.e. 13 Chrome Casing with Premium Threads & accessories (9-5/8" L-80, 47 PPF & 7", L-80, 29 PPF) and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration

Discussion:

Representative of M/s JSW informed that they have received the field trial testing report but are yet to identify any irregularity.

Decision of Standing Committee:

Standing Committee recommended **one-time exemption** to ONGC for procurement of 9-5/8" L-80, 47 PPF and 7" L-80, 29 PPF 13 chrome casing with premium threads and crossovers through GTE only for the present tender during the FY 2023-24. Further, it was suggested that a joint committee be formed by ONGC and

JSW to identify the issues and based on the report of the committee future decisions regarding grant of exemption would be taken.

G. **Procurement of Coil tubing reels**

1.25”/1.5”/1.75” x 0.109/ 0.134/ 0.125/ 0.145”
Value: Rs 31.18 crore
(Qty. required for one year)

Background

i) ONGC has informed that Tender no. BN8JC21001 for procurement of Coil Tubing Reels was invited on 09.07.2021 under ICB. Total four foreign bidders had participated and no domestic manufacturer participated in the said tender. The order was placed on foreign manufacturer i.e. M/s National Oilwell Varco Inc. Texas, USA.

ii) Representative of M/s Jindal Saw Limited & M/s MSL stated that they don’t have capability to manufacture Coil Tubing Reels

Recommendation of 18th Grievance Redressal Committee:

Grievance Redressal Committee observed that no domestic manufacturer is able to manufacture Coil Tubing Reels. In view of this, Grievance Redressal Committee recommended to grant one-time exemption to ONGC for procurement of this item and decided to place the matter before the Standing Committee under DMI&SP Policy for consideration.

Discussion:

ONGC informed that coil tubing reel is regularly used product, yet there is no domestic manufacturer. Representatives of M/s JSL and M/s MSL requested ONGC to share specifications of item needed so that they can review and look into feasibility of manufacturing it.

Decision of Standing Committee:

Standing Committee recommended **one-time exemption** to ONGC for procurement of 1.25”/1.5”/1.75” x 0.109/ 0.134/ 0.125/ 0.145” coil tubing reels through GTE only for the present tender during the FY 2023-24.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

*****

Annexure- I

List of attendees in the 18th Standing Committee under DMI&SP Policy, held on 20th March, 2023 at 03:00 P.M. in hybrid mode under the Chairpersonship of Shri Nagendra Nath Sinha, Secretary (Steel), Ministry of Steel.

Members of Standing Committee

1. Shri Nagendra Nath Sinha (Steel) – Chairman
2. Smt. Ruchika Chaudhry Govil, Additional Secretary, M/o Steel
3. Smt. Sukriti Likhi, AS&FA, M/o Steel
4. Shri Kumud Ranjan Sr. General Manager (MW), MECON Ltd.
5. Shri Arun Kumar Kailoo, Director, M/o Steel
6. Shri Parmjeet Singh, Addl.I.A.
7. Shri Devidatta Satapathy, Director, M/o Steel
8. Shri G. Sarthy Raja, Deputy Secretary, M/o Steel

Representatives from organizations/ associations

1. Shri Sandeep Gupta, ED - Chief MM, ONGC Ltd
2. Shri M K Agrawal, CGM, ONGC Ltd.
3. Shri Sanjiv Dheer, Global Head Marketing, Jindal Saw Limited
4. Shri Avnish Kumar, Sr. GM, Jindal Saw Limited
5. Shri Hemant Matreja, MSL
6. Shri Shiv Kumar Singhal, MSL
7. Shri Kadam, Praveen Industries

****

श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में 20 मार्च, 2023 को अपराहन 03:00 बजे हाइब्रिड माध्यम से आयोजित डीएमआई एंड एसपी नीति के अंतर्गत आयोजित स्थायी समिति की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं की बोली में लगे बोलीदाताओं/कंपनी द्वारा घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों की अनुपलब्धता संबंधी पर्याप्त प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत अपवर्जन अनुरोध की जाँच करने के लिए स्थायी समिति का गठन किया गया।

2. आरंभ में, स्थायी समिति के अध्यक्ष महोदय ने स्थायी समिति की 18वीं बैठक के प्रतिभागियों का स्वागत किया। ओएनजीसी और मेकॉन द्वारा उपलब्ध कराई गई इनपुट के आधार पर उप सचिव, इस्पात मंत्रालय ने मुद्दों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

3. ओएनजीसी ने वैश्विक निविदा पूछताछ के माध्यम से इन मदों की खरीद के लिए डीएमआई एंड एसपी नीति के प्रावधानों से छूट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मुद्दों को उठाया है:

क्र.सं.	निम्नलिखित हेतु माँगी गई छूट	मात्रा	अनुमानित मूल्य (करोड़ में)
i	शॉर्ट ड्रिल पाइप और पप ज्वाइंट की अधिप्राप्ति	280 नग	2.05
ii	हैवी वेट ड्रिल पाइप्स की अधिप्राप्ति	694 नग	23.09
iii	प्रीमियम थ्रेड के साथ ड्रिल कोलर्स की अधिप्राप्ति	472 नग	12.94
iv	15 क्रोम प्रीमियम थ्रेडेड केसिंग की अधिप्राप्ति	1850 एम	3.10
v	प्रीमियम केसिंग और सहायक पुर्जे की अधिप्राप्ति	9028 एमटी	152
vi	प्रीमियम थ्रेड्स और क्रॉसओवर्स सहित 13 क्रोम केसिंग की अधिप्राप्ति	2160 एमटी	119.2
vii	क्वाइल ट्यूबिंग रील्स की अधिप्राप्ति	66 नग	31.18

क. शॉर्ट ड्रिल पाइप और पप ज्वाइंट

मात्रा: 280 नग

मूल्य: 2.05 करोड़ रुपये

(एक वर्ष के लिए आवश्यक मात्रा)

पृष्ठभूमि

i) ओएनजीसी ने सूचित किया कि ड्रिल पाइप के लिए मैसर्स जिंदल सॉ लि. और मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लि. को विकास आदेश दिया गया था। फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद दोनों विनिर्माता अब ड्रिल पाइप्स के लिए 'विकसित स्रोत' हैं। उपर्युक्त के बाद, जेम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न आकार के ड्रिल पाइप और पप ज्वाइंट्स की अधिप्राप्ति के लिए दिनांक 09.09.2021 को निविदा सं. जेम/2021/बी/1503424 जारी की गई, जिसमें निम्नलिखित तीन (03) स्वदेशी विनिर्माताओं ने उक्त निविदा में भाग लिया था:

- मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र
- मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, रायगड, महाराष्ट्र
- मैसर्स माइनिंग मशीन टूल्स, कोरबा, छत्तीसगढ़

ii) चूंकि उपर्युक्त सभी मदें अर्थात् ड्रिल पाइप्स, शॉर्ट ड्रिल पाइप्स और पप ज्वाइंट्स समूह के ही हिस्सा थे, इसलिए उपर्युक्त निविदा को बंद करना पड़ा क्योंकि कोई भी बोलीदाता शॉर्ट ड्रिल पाइप और पंप ज्वाइंट्स की आपूर्ति के लिए तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे। मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड के पास शॉर्ट ड्रिल पाइप और पप ज्वाइंट्स के निर्माण हेतु आवश्यक एपीआई-5डीपी प्रमाणन और विनिर्माण करने की क्षमता होने के बावजूद वे इन मदों के विनिर्माण के लिए इच्छुक नहीं हैं।

iii) मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड और मैसर्स एमएसएल के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके पास ओएनजीसी द्वारा यथा-अपेक्षित इंटीग्रल टाईप शॉर्ट ड्रिल पाइप और पप ज्वाइंट के विनिर्माण की क्षमता नहीं है। इसके अलावा, उक्त मद के लिए ओएनजीसी की आवश्यकता सीमित है और इसका निर्माण करना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

18वीं शिकायत निवारण समिति की सिफारिश:

शिकायत निवारण समिति ने इस मद की खरीद के लिए ओएनजीसी को एकबारगी छूट देने की सिफारिश की और डीएमआई और एसपी नीति के तहत इस मामले को स्थायी समिति के विचारार्थ रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा, शिकायत निवारण समिति ने ओएनजीसी को शॉर्ट ड्रिल पाइप और पप ज्वाइंट्स के लिए दीर्घकालिक प्रक्षेपण का निर्देश दिया ताकि घरेलू निर्माता इन मदों के स्वदेशी निर्माण की क्षमता विकसित करने की व्यवहार्यता पर गौर कर सकें।

चर्चा:

दीर्घकालिक प्रक्षेपणों के संबंध में, ओएनजीसी ने सूचित किया कि उत्पाद की सीमित आवश्यकता होती है और अधिप्राप्ति छिटपुट प्रकृति की होती है। अतः ओएनजीसी सटीक दीर्घकालिक प्रक्षेपण में असमर्थ है।

स्थायी समिति का निर्णय:

स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केवल वर्तमान निविदा के लिए जीटीई के माध्यम से शॉर्ट ड्रिल पाइप और पप ज्वाइंट्स की अधिप्राप्ति के लिए ओएनजीसी को **एकबारगी छूट** देने की सिफारिश की। इसके अलावा, स्थायी समिति ने सिफारिश की कि तेल क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा देश में इन मदों की माँग के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन, तेल क्षेत्र नियामक से संपर्क किया जा सकता है, ताकि घरेलू निर्माताओं को इन मदों के स्वदेशी निर्माण के लिए क्षमता विकसित करने की व्यवहार्यता निर्धारित करने में सक्षम बनाया जा सके।

ख. हैवी वेट ड्रिल पाइप्स की अधिप्राप्ति

मात्रा: 694 नग
मूल्य: 23.09 करोड़ रुपये
(मात्रा एक वर्ष के लिए आवश्यक)

पृष्ठभूमि

i) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि विभिन्न आकारों के हैवी वेट ड्रिल पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा सं. जेडएनपीवीसी21001 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के तहत 27.08.2021 को जारी किया गया था। उक्त निविदा में कुल 5 बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिसमें चार विदेशी विनिर्माता और एक विदेशी निर्माता का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का एक सप्लाई हाऊस शामिल हैं। इसके अलावा, ओएनजीसी ने सूचित किया कि उक्त मद अर्थात् हैवी वेट ड्रिल पाइप्स की खरीद के लिए पिछली तीन निविदाओं में किसी भी स्वदेशी बोलीदाता/निर्माता ने भाग नहीं लिया था। अब एक स्वदेशी निर्माता अर्थात् मैसर्स परवीन इंटस्ट्रीज ने उक्त मद अर्थात् हैवी वेट ड्रिल पाइप के लिए विकास आदेश की माँग की है और इसे विकास आदेश प्रदान करने के लिए ओएनजीसी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

ii) मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड और मैसर्स एमएसएल के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके पास ओएनजीसी द्वारा अपेक्षित हैवी वेट ड्रिल पाइप के निर्माण की क्षमता नहीं है।

18वीं शिकायत निवारण समिति की सिफारिश:

शिकायत निवारण समिति ने कहा कि अभी तक किसी भी घरेलू विनिर्माता से एचडब्ल्यूडीपी का विनिर्माण नहीं हो पाया है और केवल एक ही विनिर्माता ने विकास आदेश की माँग की है। इसके मद्देनजर, शिकायत निवारण समिति ने इस मद की खरीद के लिए ओएनजीसी को एकबारगी छूट प्रदान करने की सिफारिश की है और इस मामले को डीएमआई एंड एसपी नीति के अंतर्गत स्थायी समिति के विचारार्थ रखने का निर्णय लिया।

चर्चा:

(i) ओएनजीसी ने सूचित किया कि इस उत्पाद को नियमित रूप से खरीदी जाती है लेकिन ऑर्डर का मूल्य बहुत अधिक नहीं है। साथ-ही मैसर्स परवीन इंडस्ट्रीज ने विकास आदेश की माँग की है, लेकिन उनके पास अपेक्षित एपीआई-7-1 प्रमाणन नहीं है।

(ii) मैसर्स परवीन इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वे आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पहले ही आवेदन दे चुके हैं। स्थायी समिति ने प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।

स्थायी समिति का निर्णय:

स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केवल वर्तमान निविदा के लिए जीटीई के माध्यम से हेवी वेट ड्रिल पाइप (एचडब्ल्यूडीपी) की अधिप्राप्ति के लिए ओएनजीसी को **एकबारगी छूट** प्रदान करने की सिफारिश की।

ग. प्रीमियम थ्रेडों के साथ ड्रिल कॉलर की अधिप्राप्ति:

मात्रा: 472 नग
मूल्य: 12.94 करोड़ रुपये
(एक वर्ष के लिए आवश्यक मात्रा)

पृष्ठभूमि

i) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि जेम (जीईएम) निविदा (निविदा संख्या-जीईएम/2022/बी/2083030) दिनांक 13.04.2022 को जारी की गई थी और दिनांक 04.05.2022 को बोली खोली गई थी, जिसमें केवल एक टीए/सीए बोलीदाता अर्थात् मैसर्स परवीन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, नवी मुंबई थी। मैसर्स परवीन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने स्पाइरल ड्रिल कॉलर और ड्रिल कॉलर (स्टिक्स) के लिए बोली लगाई थी।

ii) तथापि, उक्त बोलीदाता अर्थात् मैसर्स परवीन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने प्रीमियम थ्रेड ड्रिल कॉलर के लिए बोली नहीं लगाई थी, क्योंकि उनके पास प्रीमियम थ्रेड कनेक्शन विनिर्माण करने की सुविधा नहीं है।

iii) इसके अलावा, ओएनजीसी ने सूचित किया कि प्रीमियम थ्रेड युक्त ड्रिल कॉलर ड्रिलिंग प्रचालन के लिए अनिवार्य मद हैं। इन मदों की वर्तमान सूची के साथ ओएनजीसी कार्य केन्द्रों में ड्रिलिंग प्रचालन जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा।

iv) मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड और मैसर्स एमएसएल के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके पास प्रीमियम थ्रेड युक्त ड्रिल कॉलर के विनिर्माण की क्षमता नहीं है।

v) मैसर्स प्रवीण इंडस्ट्रीज ने यह भी सूचित किया है कि उनके पास प्रीमियम थ्रेड कनेक्शन के विनिर्माण की सुविधा नहीं है और उपरोक्त निविदा में प्रीमियम थ्रेड ड्रिल कॉलर के लिए उद्धृत नहीं किया गया था।

18वीं शिकायत निवारण समिति की सिफारिश:

शिकायत निवारण समिति ने पाया कि प्रीमियम थ्रेड युक्त ड्रिल कॉलर के लिए कोई घरेलू विनिर्माता उपलब्ध नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, शिकायत निवारण समिति ने इस मद की खरीद के लिए ओएनजीसी को एकबारगी छूट प्रदान करने की सिफारिश की और डीएमआई और एसपी नीति के तहत इस मामले को स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ रखने का निर्णय लिया।

चर्चा:

(i) ओएनजीसी ने सूचित किया कि प्रीमियम थ्रेडिंग विशेष प्रकार की थ्रेडिंग है जो बेहतर उच्च दबाव सील इंटेग्रिटी के लिए मेटल-टू-मेटल सील प्रदान करती है। घरेलू विनिर्माताओं के पास इन्हें बनाने की क्षमता नहीं है।

(ii) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल 4 कंपनियों के पास प्रीमियम थ्रेड युक्त पाइप/केसिंग बनाने की क्षमता है।

स्थायी समिति का निर्णय:

स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केवल वर्तमान निविदा के लिए जीटीई के माध्यम से प्रीमियम थ्रेड्स युक्त ड्रिल कॉलर की खरीद के लिए ओएनजीसी को **एकबारगी छूट** प्रदान करने की सिफारिश की। यह भी सुझाव दिया गया कि ओएनजीसी ऐसी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास निधियों का उपयोग कर सकती है।

घ. 15 क्रोम प्रीमियम थ्रेडेड केसिंग की खरीद

4-1/2" ओडी,
मात्रा: 1850 एम
मूल्य: 3.10 करोड़ रुपये
(एक वर्ष के लिए आवश्यक मात्रा)

पृष्ठभूमि

i) ओएनजीसी ने सूचित किया कि इसकी खरीद के लिए मार्च, 2022 के जेम बोली सं. जेम/2022/बी1989612 के तहत जेम निविदा जारी की गई थी। तथापि, निविदा में किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया।

ii) ओएनजीसी ने बताया कि उक्त ड्रिलिंग राजामुंदरी के एसेट के उपर्युक्त केसिंग की नग्यालंका जेवी चरण-I अभियान में कुओं के 7" लाइनर के नीचे उपयोग करने के लिए आवश्यकता होगी ताकि ड्रिलिंग के बाद बहु-चरणीय हाइड्रो-फ्रैक्चरिंग को सुकर बनाया जा सके। बहुस्तरीय हाइड्रो-फ्रेक्चरिंग को सुकर बनाने के लिए क्षेत्र के चरण-I विकास के दौरान समान नीति को अपनाया गया था, जिसके फलस्वरूप घरेलू हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी। अतः ओएनजीसी के ड्रिलिंग और उत्पादन प्रचालन के लिए उपर्युक्त केसिंग की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

iii) मैसर्स एमएसएल के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके पास 4-1/2" ओडी, 15 सीआर केसिंग के विनिर्माण क्षमता नहीं है। मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके पास आवश्यक आकार का उत्पादन करने की क्षमता है और उन्होंने आवश्यक ग्रेड विकसित करने हेतु 15 सीआर के विकास आदेश के लिए अनुरोध किया।

18वीं शिकायत निवारण समिति की सिफारिश:

शिकायत निवारण समिति ने कहा कि कोई भी घरेलू विनिर्माता 4-1/2" ओडी, 15 सीआर केसिंग का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है। इसके मद्देनजर, शिकायत निवारण समिति ने इस मद की खरीद के लिए ओएनजीसी को एकबारगी छूट प्रदान करने की सिफारिश की और इस मामले को डीएमआई एंड एसपी नीति के तहत स्थायी समिति के समक्ष उनके विचारार्थ रखने का निर्णय लिया।

चर्चा:

मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके पास समान मदों का उत्पादन करने की क्षमता है और उन्होंने ओएनजीसी से आवश्यक मदों के विनिर्देशों को साझा करने का अनुरोध किया ताकि वे इसकी समीक्षा कर सकें और इसके निर्माण की व्यवहार्यता पर गौर कर सकें।

स्थायी समिति का निर्णय:

स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केवल वर्तमान निविदा के लिए जीटीई के माध्यम से 4-1/2" ओडी 15 क्रोम प्रीमियम थ्रेडेड केसिंग की खरीद के लिए ओएनजीसी को **एकबारगी छूट** प्रदान करने की सिफारिश की है क्योंकि इस मद की स्वदेशी उपलब्धता में समय लगेगा। इसके अलावा, स्थायी समिति ने सिफारिश की कि तेल क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा देश में इन मदों की माँग के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन, तेल क्षेत्र नियामक से संपर्क किया जा सकता है ताकि घरेलू विनिर्माताओं को इन मदों के स्वदेशी विनिर्माण हेतु क्षमता विकसित करने की व्यवहार्यता को निर्धारित करने में सक्षम बनाया जा सके।

ङ. प्रीमियम केसिंग और पुर्जों की खरीद

11-3/4" एफजे एन80, 9-5/8" क्यू125, 7" क्यू125, 5-1/2" पी110, 5" पीP110;
मात्रा: 9028 एमटी
मूल्य: 152 करोड़ रुपये
(एक वर्ष के लिए आवश्यक मात्रा)

पृष्ठभूमि

i) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि एफजे (फ्लश ज्वाइंट) सहित पुर्जों के साथ प्रीमियम केसिंग की खरीद के लिए जेम टेंडर 26.05.2022 को जारी किया गया था और फ्लश ज्वाइंट कनेक्शन युक्त प्रीमियम केसिंग के लिए तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

ii) गैस के कुओं, उच्च दबाव वाले कुओं के साथ-साथ संक्षारक बहिस्रावों को उत्पादित करने वाले कुओं के लिए प्रीमियम केसिंग एवं उपस्करों का प्रयोग किया जाता है। यह परिष्कृत उच्च दबाव सील की अखंडता के लिए मेटल-टू-मेटल सील उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, ओएनजीसी के उत्पादन प्रचालनों के लिए इन प्रीमियम केसिंग तथा सहायक उपस्करों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

iii) मेसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने ओएनजीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकास आदेश की तुलना में 13-3/8" ओडी, क्यू-125 ग्रेड के केसिंग की आपूर्ति की है, जिसके लिए ओएनजीसी द्वारा अभी तक फील्ड प्रयोग परीक्षण की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।

iv) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि विकास आदेश के एवज में मैसर्स जेएसएल द्वारा आपूर्ति किए गए केसिंग के फील्ड प्रयोग परीक्षण के दौरान पर्यावरण संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। इनके बारे में ओएनजीसी द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरांत मैसर्स जेएसएल को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि नियमित आदेश के एवज में मैसर्स जेएसएल द्वारा आपूर्ति किए गए प्रीमियम केसिंग अर्थात् 9-5/8", हंटिंग सील लॉक एक्सडी कनेक्शन के साथ पी-110 में विफलता दर्ज की गई थी। समस्या के शीघ्र समाधान के लिए इस मामले की सूचना पहले ही मैसर्स जेएसएल को दे दी गई है ताकि किसी प्रकार की प्रचालन आकस्मिकता से बचा जा सके।

v) मैसर्स जेएसएल ने सूचित किया है कि उक्त प्रीमियम केसिंग (अर्थात् 9-5/8", हंटिंग सील लॉक एक्सडी कनेक्शन के साथ पी-110) में विफलता के मूल कारणों का भी उनके द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

vi) ओएनजीसी ने आगे उल्लेख किया है कि प्रीमियम केसिंग के पाँच आकारों के लिए डीएमआई एंड एसपी नीति से छूट हेतु अनुरोध किया गया है। विकास आदेश के एवज में आपूर्ति किए गए 13-3/8" ओडी, क्यू-125, बीटीसी ग्रेड के केसिंग के फील्ड प्रयोग के सफल होने की स्थिति में मैसर्स जेएसएल केवल दो आकारों अर्थात् 9-5/8" ओडी एवं 7"ओडी की प्रीमियम केसिंग पाइपों के लिए नियमित निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।

18वीं शिकायत निवारण समिति की सिफारिशें:

i) शिकायत निवारण समिति ने पाया कि कोई भी स्वदेशी विनिर्माता 11-3/4" एफजे एन80, 5-1/2"पी110 एवं 5" पी110 प्रीमियम केसिंग वाली तीन प्रकार की केसिंग का विनिर्माण करने में समर्थ नहीं है। इसके आलोक में, शिकायत निवारण समिति ने इन प्रीमियम केसिंग की खरीद से ओएनजीसी को एकबारगी छूट प्रदान किए जाने की सिफारिश की तथा डीएमआई एंड एसपी नीति के अंतर्गत स्थायी समिति के समक्ष मामले को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया।

ii) जहाँ तक 9-5/8" ओडी एवं 7"ओडी प्रीमियम केसिंग पाइपों का संबंध है, शिकायत निवारण समिति ने इन प्रीमियम केसिंग की अधिप्राप्ति से ओएनजीसी को एकबारगी छूट प्रदान किए जाने की सिफारिश की तथा डीएमआई एंड एसपी नीति के अंतर्गत स्थायी समिति के

समक्ष मामले को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया। शिकायत निवारण समिति ने इन उत्पादों के स्वदेशीकरण को सुविधा प्रदान करने के लिए मैसर्स जेएसएल के साथ फील्ड ट्रायल की प्रचालन रिपोर्टों/निष्कर्षों को साझा करने के लिए ओएनजीसी को निर्देश दिए।

चर्चा:

मैसर्स जेएसएल के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उन्हें अभी फील्ड ट्रायल टेस्टिंग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। स्थायी समिति के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि दोनों कंपनियों की तकनीकी टीम इस मामले के शीघ्र समाधान के लिए एक साथ कार्य कर सकती हैं।

स्थायी समिति का निर्णय:

(i) स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा निविदा के लिए केवल जीटीई के माध्यम से 11-3/4” एफजे एन80, 5-1/2” पी110 और 5” पी110 प्रीमियम केसिंग और उपस्करों की खरीद के लिए ओएनजीसी को **एकबारगी छूट** दिए जाने की सिफारिश की थी।

(ii) 9-5/8” क्यू125 एवं 7” क्यू125 प्रीमियम केसिंग और उपस्करों के संबंध में स्थायी समिति ने जीटीई के माध्यम से अधिप्राप्ति किए जाने को छूट प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया तथा ओएनजीसी को 3 सप्ताह के भीतर मैसर्स जेएसएल के साथ फील्ड ट्राइल की परीक्षण रिपोर्ट को साझा करने का निदेश दिया।

च. प्रीमियम थ्रेड्स एंड क्रॉस ओवर्स के साथ 13 क्रोम केसिंग की खरीद:

9-5/8"एल-80, 47 पीपीएफ एंड 7", एल-80, 29 पीपीएफ
मात्रा: 2160 एमटी
मूल्य: 119.2 करोड़
(एक वर्ष के लिए आवश्यक मात्रा)

पृष्ठभूमि

i) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि प्रीमियम थ्रेड के साथ 7” ओडी, 13 क्रोम केसिंग की आपूर्ति के लिए मैसर्स जेएसएल को विकास आदेश दिया गया था। फील्ड ट्रायल परीक्षण के परिणाम संतोषजनक नहीं थे। इसके बारे में मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड को सूचित कर दिया गया है और यह कंपनी विफलता के कारणों की जाँच कर रही है। तथापि सामग्री के फील्ड ट्रायल परीक्षण में सफल होने तक मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड पर एक विकसित स्रोत के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।

ii) मैसर्स जेएलएल ने सूचित किया है कि इस मामले को उठाया गया है और इनके द्वारा विफलता के मूल कारण का विश्लेषण किया जा रहा है।

18वीं शिकायत निवारण समिति की सिफारिशें:

शिकायत निवारण समिति ने टिप्पणी की है कि मैसर्स जेएसएल को अभी 7" ओडी 13 क्रोम केसिंग के लिए क्षमता को पूरी तरह से विकसित करना शेष है। यदि 7" ओडी 13 क्रोम केसिंग को विकसित कर लिया जाता है तो भी, 9-5/8" ओडी 13 क्रोम केसिंग के लिए कोई स्वदेशी विनिर्माता उपलब्ध नहीं है। इसके आलोक में, शिकायत निवारण समिति ने इस मद अर्थात् प्रीमियम थ्रेड्स एवं उपस्करों (9-5/8" एल-80, 47 पीपीएफ एवं 7", एल-80, 29 पीपीएफ) सहित 13 क्रोम केसिंग की खरीद के लिए ओएनजीसी को एकबारगी छूट प्रदान किए जाने की सिफारिश की और इस मामले को विचार के लिए डीएमआई एंड एसपी नीति के अंतर्गत स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया।

चर्चा:

मैसर्स जेएसडब्ल्यू के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उन्हें फील्ड ट्रायल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, परंतु अभी तक किसी अनियमितता की पहचान नहीं की गई है।

स्थायी समिति का निर्णय:

स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा निविदा के लिए केवल जीटीई के माध्यम से प्रीमियम थ्रेड्स एवं क्रॉस ओवर्स के साथ 9-5/8" एल-80, 47 पीपीएफ वं 7" एल-80, 29 पीपीएफ 13 क्रोम केसिंग की खरीद के लिए ओएनजीसी को **एकबारगी छूट** दिए जाने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया गया था कि ओएनजीसी एवं जेएसडब्ल्यू के द्वारा समस्याओं की पहचान के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर छूट के संबंध में आगामी निर्णय लिए जाएं।

छ. क्वायल ट्यूबिंग रील्स की खरीद

1.25"/1.5"/1.75" x 0.109/ 0.134/ 0.125/ 0.145"
मूल्य: 31.18 करोड़ रुपये
(मात्रा: एक वर्ष के लिए आवश्यक)

पृष्ठभूमि

i) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि क्वायल ट्यूबिंग रील्स की अधिप्राप्ति के लिए आईसीबी के अंतर्गत दिनांक 09.07.2021 को निविदा सं. बीएन8जेसी21001 आमंत्रित की गई थी। उपर्युक्त निविदा में कुल चार विदेशी बोलीकर्ताओं ने भाग लिया तथा किसी भी स्वदेशी

विनिर्माता ने भाग नहीं लिया। मैसर्स नेशनल ऑयल वेल वार्को इंक टेक्सास, यूएसए नामक एक विदेशी विनिर्माता को आदेश प्रस्तुत किया गया।

ii) मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड एवं मैसर्स एमएसएल के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके पास क्वायल ट्यूबिंग रील्स के विनिर्माण के लिए क्षमता नहीं है।

18वीं शिकायत निवारण समिति की सिफारिशें:

शिकायत निवारण समिति द्वारा पाया गया कि कोई भी स्वदेशी विनिर्माता क्वायल ट्यूबिंग रील्स का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है। इसको देखते हुए, शिकायत निवारण समिति ने इस मद की अधिप्राप्ति के लिए ओएनजीसी को एकबारगी छूट प्रदान किए जाने की सिफारिश की और डीएमआई एंड एसपी नीति के अंतर्गत स्थायी समिति के समक्ष इस मामले को विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

चर्चा:

ओएनजीसी ने सूचित किया कि क्वायल ट्यूबिंग रील्स नियमित रूप से प्रयोग में आने वाला उत्पाद है, परंतु फिर भी इसका कोई स्वदेशी विनिर्माता नहीं है। मैसर्स जेएसएल एवं मैसर्स एमएसएल के प्रतिनिधियों ने ओएनजीसी से आवश्यक वस्तु की विशिष्टताओं को साझा करने का अनुरोध किया ताकि वे इसकी समीक्षा कर सकें और इसके विनिर्माण की संभाव्यता को तलाश सकें।

स्थायी समिति का निर्णय:

स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केवल मौजूदा निविदा के लिए जीटीई के माध्यम से 1.25”/1.5”/1.75” x 0.109/ 0.134/ 0.125/ 0.145” क्वायल ट्यूबिंग रील्स की खरीद के लिए ओएनजीसी को **एकबारगी छूट** प्रदान किए जाने की सिफारिश की।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

*****

अनुलग्नक-I

डीएमआई एंड एसपी नीति के अंतर्गत दिनांक 20 मार्च, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय के अध्यक्षता में हाइब्रिड माध्यम से आयोजित हुई 18वीं स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

स्थायी समिति के सदस्य

1. श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा (इस्पात) - अध्यक्ष
2. श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल, अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय
3. श्रीमती सुकृति लिखी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय
4. श्री कुमुद रंजन, वरिष्ठ महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू), मेकॉन लिमिटेड
5. श्री अरुण कुमार कैलू, निदेशक, इस्पात मंत्रालय
6. श्री परमजीत सिंह, अपर औद्योगिक सलाहकार
7. श्री देवीदत्त शतपथी, निदेशक, इस्पात मंत्रालय
8. श्री जी. सारथी राजा, उप सचिव, इस्पात मंत्रालय

संगठनों/संघों के प्रतिनिधि

1. श्री संदीप गुप्ता, ईडी - चीफ एमएम, ओएनजीसी लिमिटेड
2. श्री एम के अग्रवाल, सीजीएम, ओएनजीसी लिमिटेड
3. श्री संजीव धीर, ग्लोबल हेड मार्केटिंग, जिंदल सॉ लिमिटेड
4. श्री अवनीश कुमार, वरिष्ठ जीएम, जिंदल सॉ लिमिटेड
5. श्री हेमंत मतरेजा, एमएसएल
6. श्री शिव कुमार सिंघल, एमएसएल
7. श्री कदम, प्रवीण इंडस्ट्रीज

****